

**संज्ञा****उच्च, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या- प्राविषापरिषद/सम्बद्धता/2021/3537

दिनांक: 08/08/2021

**संज्ञा**

उच्च मातृसंघ (उच्च) शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पार्लमेंटरी बजट/ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विप्लोना स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद बजट/सत्र में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार कराते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उल्लेखित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम                    | एडमिशन/सीटों/वर्ग/वर्गों/द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|-------------------------------------|--|---|
| 1       | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING    | 30   | 30  |
| 2       | INFORMATION TECHNOLOGY              | 30   | 30  |
| 3       | ELECTRONICS ENGINEERING             | 60   | 60  |
| 4       | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 180  | 180   |
| 5       | CIVIL ENGINEERING                   | 120  | 120   |
| 6       | ELECTRICAL ENGINEERING              | 60   | 60  |
| 7       | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) | 60   | 60  |

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एडमिशन/सीटों/वर्गों/वर्गों/द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1882 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियम/कमी 1982, सेमेस्टर विनियम/कमी-2018 तथा अन्य विहित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु रु. 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पार्लमेंटरी पाठ्यक्रम हेतु रु. 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पार्लमेंटरी (दो वर्षीय पार्लमेंटरी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु. 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उत्तरांचल के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश पत्राची होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का मुलनिर्धारण किया जाता है, तो फीस की अतीततम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उत्तर) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया (जाना) विनियम/कमी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। स्नेही के विस्तार सह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

**कार्यालय,****सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश जखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

जखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

**:-कार्यालय जाए:-**

अधिन प्राविधिक जखनऊ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/एनमेंसी कार्यालय जखनऊ इंचेखा, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2022-23 हेतु विद्यार्थी सार्थक जखनऊ शिक्षा परिषदों को अनुमति देता है कि जो कि उन के अंतर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, (पीएच) जखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता सिद्धता प्राप्त कि जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को पंजीयत कार्यालय में सम्बद्धता प्रविष्टि की प्रेषण करना है। प्रेषण में संश्लेषित द्वारा सत्र 2022-23 हेतु प्राविधिक नई जखनऊ को सम्बद्धता/ पूर्व में सम्बद्धता सम्बद्धता को सम्बद्धता सिद्धता/ सम्बद्धता/ उत्तर प्रदेश नृदि प्रविष्टि कर्य सत्र 23 विषय करते हेतु सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता सिद्धता प्राप्त किने जाने का निर्देश दिया गया।

सम्बद्धता प्रविष्टि की प्रेषण में संश्लेषित के अनुमति में प्रेषण करना को प्राविधिक शिक्षा परिषद, (पी एच) जखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन प्रेषण तथा सभी जखनऊ जखनऊ हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता सिद्धता प्राप्त की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4440-MAA VAISHNAV MAA SHARDA POLYTECHNIC

| क्र०सं० | पाठ्यक्रम का नाम                    | ए०आइ०सी०टी०ई०                       | परिषद द्वारा सत्र      |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|         |                                     | पी०सी०आई० द्वारा सत्र               | 2022-23 हेतु           |
|         |                                     | 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
| 1       | CIVIL ENGINEERING                   | 120                                 | 120                    |
| 2       | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING    | 30                                  | 30                     |
| 3       | ELECTRICAL ENGINEERING              | 60                                  | 60                     |
| 4       | ELECTRONICS ENGINEERING             | 60                                  | 60                     |
| 5       | INFORMATION TECHNOLOGY              | 30                                  | 30                     |
| 6       | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) | 60                                  | 60                     |
| 7       | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 180                                 | 180                    |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आइ०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन

## कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सखनऊ।

संख्या:- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12890001

सखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

**:कार्यालय आप:**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं कार्मिसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से स्थापित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० सखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्मिसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उत्तम अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4440-MAA VAISHNAV MAA SHARDA POLYTECHNIC

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम                    | एचआईएलसी/टीआईए/पीपीसीआईए द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|-------------------------------------|--|---|
| 1       | CIVIL ENGINEERING                   | 120  | 120   |
| 2       | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING    | 30   | 30  |
| 3       | ELECTRICAL ENGINEERING              | 60   | 60  |
| 4       | ELECTRONICS ENGINEERING             | 60   | 60  |
| 5       | INFORMATION TECHNOLOGY              | 15   | 15  |
| 6       | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE) | 60   | 60  |
| 7       | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION) | 180  | 180   |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/18-3096/30/2022 टीआईए-1 दिनांक 18 नवंबर 2023 द्वारा पूर्व से स्थापित संसद संस्थानों की लॉय के विरुद्ध मजबूतीय न्यायालय में खोजित रिट याचिका संख्या 8827/2023 में मजबूतीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्गत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्मिसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/कार्मिसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, बैंक उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।